



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218676  
CG-DL-E-14032020-218676

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 953]  
No. 953]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1060(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की अधिकारिता वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की न्यायपीठों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) की एक और न्यायपीठ का गठन करती है।

2. नई दिल्ली में एनसीएलएटी की न्यायपीठ को एनसीएलएटी की प्रधान पीठ के रूप में जाना जाएगा जो एनसीएलएटी की चेन्नई न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त अन्य अपीलों की सुनवाई करेगी।

3. यह अधिसूचना 18 मार्च, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. ए-45011/6/2019-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

**S.O. 1060(E).**—In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby constitutes another Bench of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) at Chennai to hear the appeals against the orders of the Benches of the National Company Law Tribunal (NCLT) having jurisdiction of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Lakshadweep and Puducherry.

2. The Bench of the NCLAT at New Delhi shall be known as the Principal Bench of the NCLAT which shall continue to hear appeals other than those in the jurisdiction of Chennai Bench of the NCLAT.

3. This notification shall come into force with effect from the 18<sup>th</sup> March, 2020.

[F.No. A-45011/6/2019-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.